मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.*423

23.03.2026 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संबंधी मुआवज़े की वसूली

***423. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के विरुद्ध लापरवाही/कर्तव्य की उपेक्षा के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या पर्यावरणीय मुआवज़ा शत-प्रतिशत वसूल कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसकी बकाया राशि कितनी है तथा क्या उक्त राशि की वसूली के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दमनगंगा/बिलखाड़ी/कोलक नदियों के संबंध में कार्ययोजना की नदी-वार प्रगति रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा "बार-बार उल्लंघन करने वाले" उद्योगों (नाम बताने और शर्मिंदा करने की नीति) की सूची को सार्वजनिक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त उद्योगों के संबंध में त्रैमासिक सार्वजनिक अनुपालन डैशबोर्ड जारी किए जाने और एक सार्वजनिक पोर्टल पर वास्तविक समय में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) उपलब्ध कराने की संभावना है; और

(च) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के लिए कोई नीति बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पर्यावरण संबंधी मुआवजे की वसूली' के संबंध में श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दिनांक 23.03.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *423 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सूचना दी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही/कर्तव्य में चूक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य बोर्डों द्वारा रखे जाते हैं।

(ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2018 से 2024 की अवधि के दौरान 48.42 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है और 47.35 करोड़ रुपये की वसूली की है। तदनुसार, 1.06 करोड़ रुपये बकाया हैं। पर्यावरणीय मुआवजे के भुगतान की समय-सीमा प्रत्येक मामले के आधार पर संबंधित आदेश में निर्धारित की जाती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा एकत्रित पर्यावरणीय मुआवजों की बकाया राशि से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य बोर्डों द्वारा रखे जाते हैं।

(ग) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राप्त जानकारी के आधार पर दमन गंगा के लिए कार्ययोजना की नदी-वार प्रगति रिपोर्ट गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा तैयार की जाती है तथा कोलाक नदी के लिए कार्ययोजना की प्रगति रिपोर्ट गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई है, जिसमें भिल्ल खाड़ी सहायक नदी भी शामिल है।

(घ) से (ङ): अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक मामले के आधार पर की जाती है। ऑनलाइन संधारणीय उत्सर्जन निगरानी प्रणाली से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इन्हें https://rtdms.cpcb.gov.in/data (प्रत्यक्ष डेटा) तथा https://rtdms.cpcb.gov.in/publicdata (ऐतिहासिक डेटा) पर देखा जा सकता है।

(च): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की जवाबदेही क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रभावी सेवा नियमों, आचरण नियमों तथा अनुशासिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्धारित होती है।
